*भारत में हरित एवं धारणीय वित्त के लिए एक सुदृढ़ पारितंत्र का निर्माण**

श्री एम. राजेश्वर राव

सम्मानित अतिथिगण, प्रतिभागियों, देवियों और सज्जनों, शुभ दोपहर।

सबसे पहले, मैं आयोजकों को मुझे आमंत्रित करने और समापन भाषण देने तथा एक ऐसे विषय पर अपने विचार साझा करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जो राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर निरंतर ध्यान आकर्षित कर रहा है। मेरा मानना है कि हरित एवं धारणीय वित्त, वित्तीय संस्थानों की भूमिका, अवसर और चुनौतियाँ, विनियामक और नीतिगत जगत का समन्वय, वैश्विक वित्तपोषण की सुगमता, और वित्तीय संस्थानों के ऋण जोखिमों में जलवायु परिवर्तन के पहलुओं का एकीकरण जैसे विषयों पर सार्थक विचार-विमर्श हुआ होगा। इनमें से प्रत्येक विषय पर विस्तृत विचार-विमर्श की आवश्यकता है और सामूहिक रूप से ये सभी बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली के लिए हरित एवं धारणीय वित्त हेतु एक सुदृढ़ पारितंत्र के निर्माण की आधारशिला हैं।

वित्तीय पारितंत्र के लिए हरित और धारणीय निवेश को आकर्षित करने हेतु जिन महत्वपूर्ण प्रवर्तकों की आवश्यकता हैं, वे विभिन्न मंचों पर विचार-विमर्श का विषय रहे हैं और अब भी बने हुए हैं, चाहे वह जी20 धारणीय वित्त कार्य समूह हो, या बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति जैसी अंतरराष्ट्रीय मानक निर्धारण संस्थाएँ, अंतरराष्ट्रीय स्थिरता मानक बोर्ड, वित्तीय स्थिरता बोर्ड और वित्तीय प्रणाली को हरित बनाने का नेटवर्क हो। इन कारकों में राष्ट्रीय हरित/जलवायु वित्त वर्गीकरण को अपनाना, जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों के लिए वैश्विक रूप से संरेखित प्रकटीकरण मानक, और दृढ आश्वासन एवं सत्यापन प्रक्रिया शामिल हैं। हरित और धारणीय वित्त एक विशिष्ट क्षेत्र होने के कारण, हमें ग्रीनवाशिंग जोखिमों के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा, कुछ अंतर्निहित जोखिम और स्थितियाँ हैं जिनका हरित और धारणीय ऋण/निवेश निर्णयों में जोखिम-प्रतिफल के दृष्टिकोण से पालन किया जाना आवश्यक है। मैं इन पहलुओं पर थोड़ा विस्तार से चर्चा करूँगा और हम सामूहिक रूप से भारत में हरित और धारणीय वित्त के लिए एक मजबूत पारितंत्र का निर्माण और विकास कैसे कर सकते हैं इस विषय पर एक वृत्तांत बनाने का प्रयास करूँगा।

हरित एवं धारणीय वित्त वर्गीकरण

जब हम हरित एवं धारणीय वित्त की बात करते हैं, तो प्राथमिक रूप से यह समझना आवश्यक है कि इसे क्या परिभाषित करता है। एक राष्ट्रीय स्तर का वर्गीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह संपूर्ण पारितंत्र को संरेखित करने वाले पहले आधार खंड के रूप में कार्य करता है, चाहे वह सरकार हो, विनियामक हों, अन्य नीति निर्माता हों, वित्तीय संस्थान हों या उधारकर्ता/निवेशक हों। यह भारत में विकास के अधीन काम कर रहा है। आप जानते हैं कि माननीय वित्त मंत्री ने 2024-25 के बजट भाषण में इस आशय की घोषणा की थी। इस बीच, भारतीय रिज़र्व बैंक में हम अब तक हरित एवं धारणीय क्षेत्रों के मानचित्रण के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड (एसजीआरबी) रूपरेखा का उपयोग करते रहे हैं। इसका उपयोग तब भी किया गया था जब हमने अप्रैल 2023 में ग्रीन डिपॉजिट की स्वीकृति पर एक रूपरेखा जारी की थी, जो हरित क्षेत्रों की पहचान के लिए एसजीआरबी रूपरेखा के साथ संरेखित है। इस प्रकार, एक सुदृढ़ पारितंत्र प्रवर्तक के रूप में, पहला आधार खंड विभिन्न क्षेत्रों की पहचान और इस वर्गीकरण के साथ विभिन्न विनियामक व्यवस्थाओं के संरेखण के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का वर्गीकरण होगा।

सुसंगत एवं सामंजस्यपूर्ण विनियामक दृष्टिकोण

दूसरा आधार खंड जलवायु परिवर्तन जोखिमों के आकलन और संबंधित वित्तपोषण को बढ़ावा देने की दिशा में एक सुसंगत एवं सामंजस्यपूर्ण विनियामक दृष्टिकोण होगा। जलवायु परिवर्तन जोखिम और संबंधित मुद्दे क्षेत्र-विशिष्ट नहीं हैं और इनमें महत्वपूर्ण अंतर-निर्भरताएँ हैं। 2021 में सीओपी26 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषित निवल शून्य लक्ष्य की प्राप्ति 2070 तक सुनिश्चित करने के लिए, अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली के हितधारकों को अपने-अपने कार्यों/उपायों को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता

---

* 17 अप्रैल, 2025 को नई दिल्ली में भारत जलवायु मंच द्वारा आयोजित ऋण शिखर सम्मेलन 2025 में उप गवर्नर श्री एम. राजेश्वर राव द्वारा दिया गया समापन भाषण। सुनील नायर और साकेत कुमार द्वारा दिए गए सुझावों के लिए आभार।

होगी, ताकि एक देश के रूप में हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इसके लिए संबंधित नियामकों और प्राधिकरणों के बीच एक सुसंगत एवं सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण की भी आवश्यकता होगी।

आश्वासन और सत्यापन कार्य

अगला आधार खंड द्वढ़ आश्वासन और सत्यापन कार्यों का विकास होगा। जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों, हरित और धारणीय वित्त का आकलन संदर्भ-विशिष्ट है, जिसके लिए निधियों के अंतिम उपयोग का स्पष्ट और वस्तुनिष्ठ प्रदर्शन आवश्यक है। हरित और धारणीय वित्त से संबंधित निधियों के अंतिम उपयोग पर आश्वासन प्रदान करनेवाली पारदर्शिता और संबंधित जाँच-पड़ताल, अत्यंत महत्वपूर्ण है। जलवायु संबंधी पहलुओं पर आश्वासन के लिए आवश्यक तकनीकी विशेषज्ञता और मानक आश्वासन मानकों के पालन को देखते हुए, इस आश्वासन और सत्यापन प्रक्रिया की विश्वसनीयता सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसका अर्थ उन विशेषज्ञताओं और कौशलों का विवरण देते हुए सुसंगत मानकों की आवश्यकता को परिभाषित करना होगा जो किसी भी आश्वासनकर्ता या सत्यापनकर्ता के पास ये सेवाएँ प्रदान करने के लिए अवश्य होनी चाहिए। प्रक्रियाओं पर वित्तीय प्रणाली में एक सुसंगत दृष्टिकोण निवेशकों को विश्वास प्रदान करेगा, जो संबंधित क्षेत्रों में ऋण प्रवाह में वृद्धि के लिए एक प्रमुख प्रवर्तक के रूप में कार्य करेगा और साथ ही ग्रीनवाशिंग के जोखिमों से संबंधित चिंताओं का समाधान भी करेगा।

पारदर्शिता और प्रकटीकरण

चौथा पहलू जलवायु संबंधी प्रकटीकरणों में पारदर्शिता की आवश्यकता है। वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों का आकलन और प्रबंधन, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यह प्रकटीकरण पहलुओं पर विभिन्न क्षेत्रों के बीच सामंजस्य की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी वित्तीय संस्थान को कोई ऋण या निवेश संबंधी निर्णय लेना है या अपने पोर्टफोलियो जोखिमों का आकलन करना है, या उसे जलवायु संबंधी वित्तीय प्रकटीकरण करने का आदेश दिया गया है, तो उसे आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए उधारकर्ताओं पर निर्भर रहना होगा। इसका अर्थ केवल ऋणदाता और उधारकर्ता दोनों के लिए एक सक्षम तंत्र स्थापित करना ही नहीं है, बल्कि डेटा और सूचना के निर्बाध प्रवाह के लिए वित्तीय प्रणाली में एकरूपता भी बनाए रखना है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने फरवरी 2024 में सार्वजनिक परामर्श के लिए एक मसौदा "जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों पर प्रकटीकरण ढाँचा" प्रकाशित किया था। मसौदा दिशानिर्देशों के अनुसार, विनियमित संस्थाओं को चार व्यापक क्षेत्रों, अर्थात् (i) अनुशासन (ii) रणनीति (iii) जोखिम प्रबंधन और (iv) मापदंड और लक्ष्य, के आधार पर जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों के संबंध में गुणात्मक और मात्रात्मक प्रकटीकरण करने की आवश्यकता है। हमें संबन्धित रूपरेखा के आधार पर व्यापक फीडबैक प्राप्त हुआ है जिसके आधार पर दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

जलवायु परिवर्तन मॉडलिंग की जटिलताएँ और डेटा संबंधी मीमांसा

एक अन्य क्षेत्र जहाँ सुसंगति और सामंजस्य आवश्यक है, वह है डेटा संकलन। जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिम, आकलन और हरित एवं धारणीय वित्त के संबंधित पहलुओं के लिए, चाहे वह संक्रमणकालीन वित्त हो या अनुकूलन वित्त, डेटा अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस समय जलवायु जोखिम आकलन की सीमाओं में से एक सीमा, विशिष्ट डेटा आवश्यकताओं के साथ तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता है। जलवायु संबंधी डेटा, जलवायु पैटर्न की बारीकियों और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को समझना, एक अत्यधिक तकनीकी और कुशल कार्य है। दुनिया भर के जलवायु वैज्ञानिक जलवायु और मौसम के पैटर्न और उससे संबंधित पहलुओं का अध्ययन करने के लिए सुपर कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। इसमें जटिल मॉडलिंग शामिल है और यह संसाधन गहन है। यदि हम किसी वित्तीय क्षेत्र के विशेषज्ञ पर निर्भर हैं, जो मात्रात्मक अनुमानों का आकलन करने के लिए वित्तीय मॉडलिंग का उपयोग करता है और फिर वित्तीय क्षेत्र के प्रभाव पर पहुँचता है, तो अकेले यह विशेषज्ञता पर्याप्त नहीं हो सकती है। जलवायु परिदृश्य विश्लेषण और जलवायु वित्त जोखिमों के लिए आवश्यक दो कौशल सेट पूरी तरह से भिन्न हैं क्योंकि जलवायु वैज्ञानिक वित्तीय मॉडलिंग के विशेषज्ञ नहीं हैं और वित्तीय मॉडलर के पास जलवायु विज्ञान के क्षेत्र में सीमित विशेषज्ञता है। इससे वित्तीय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन के जोखिम के प्रभाव का आकलन करने का कार्य अधिक कठिन हो जाता है, इसलिए दोनों के बीच सहयोग की आवश्यकता होगी।

जलवायु परिवर्तन जोखिमों, अर्थात् भौतिक और संक्रमणकालीन जोखिमों और वास्तविक आस्तियों व वित्तीय साधनों के मूल्य पर इसके प्रभाव को देखते हुए, जोखिम-प्रतिफल के दृष्टिकोण से ऋणदाताओं या निवेशकों के लिए इन जोखिमों को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, वित्तीय प्रणाली में जोखिमों के एक समान और सुसंगत मूल्यांकन के लिए, प्रकटीकरण और डेटा का पहलू महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे उधारकर्ताओं और ऋणदाताओं/निवेशकों के बीच सूचनाओं के गलत संरेखण को दूर किया जा सकेगा और न केवल जलवायु परिवर्तन जोखिमों का उचित मूल्यांकन संभव होगा, बल्कि हरित और धारणीय वित्त को भी बढ़ावा मिलेगा।

इस प्रयास के एक भाग के रूप में, रिज़र्व बैंक ने अक्तूबर 2024 के मौद्रिक नीति वक्तव्य में रिज़र्व बैंक-जलवायु जोखिम सूचना प्रणाली (आरबी-सीआरआईएस) के गठन की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य डेटा अंतराल को पाटना और विनियमित संस्थाओं (आरई) को तीन पहलुओं - भौतिक जोखिम डेटा, संक्रमणकालीन जोखिम डेटा और कार्बन उत्सर्जन कारक डेटाबेस - पर मानकीकृत डेटासेट प्रदान करना है। भौतिक जोखिम डेटा वाला अंश अखिल भारतीय जोखिम और भेद्यता डेटा प्रदान करने पर केंद्रित होगा। संक्रमण जोखिम के संबंध में, भारत-विशिष्ट संक्रमण परिदृश्यों पर पहुँचने और उनका उपयोग क्षेत्रीय मानक संक्रमण पथ प्रदान करने के लिए करने की योजना है। अंततः, सभी क्षेत्रों में प्रसार गणना के मानकीकरण की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, कार्बन उत्सर्जन पद्धति और एक समान डेटाबेस के प्रति एक सुसंगत दृष्टिकोण का भी प्रस्ताव किया जा रहा है। आरबी-सीआरआईएस के तहत, आरबीआई सभी हितधारकों को एक साथ लाकर, सुसंगतता लाने और मौजूदा डेटा अंतराल को पाटने का इरादा रखता है।

जलवायु परिवर्तन और ऋण जोखिम

जलवायु परिवर्तन के जोखिम पारंपरिक जोखिम श्रेणियों के माध्यम से वित्तीय संस्थानों, वित्तीय प्रणाली और वास्तविक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं और एक जोखिम कारक जो प्रमुख रूप से सामने आता है वह है ऋण जोखिम। जलवायु परिवर्तन से उधारकर्ताओं के लिए अतिरिक्त परिचालन लागत बढ़ेगी और उनकी आस्तियों के नुकसान की संभावना बढ़ जाएगी, जिससे उधारकर्ताओं द्वारा ऋण चूक की संभावना बढ़ जाएगी। वास्तविक अर्थव्यवस्था विभिन्न माध्यमों से भी प्रभावित होती है जैसे प्रत्यक्ष संपत्ति हानि, फसल हानि, रोजगार की हानि और आजीविका का नुकसान। जलवायु परिवर्तन में ऋण जोखिम का एक अन्य पहलू हरित और धारणीय वित्तपोषण को बढ़ावा देने की आवश्यकता से उत्पन्न होता है। तथ्य यह है कि कार्बन-मुक्ति की ओर संक्रमण को प्रेरित करने वाली निवल-शून्य प्रौद्योगिकियाँ विभिन्न विकासात्मक और विकासशील चरणों में हैं और अपने आप में ऋण जोखिमों में उल्लेखनीय वृद्धि का संकेत देती है। इस प्रकार, दो भागों में विभाजन किया है जिसमें एक ओर हरित और धारणीय वित्त को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है और दूसरी ओर ऐसे वित्तपोषण को प्रोत्साहित करने से अंतर्निहित जोखिमों में वृद्धि होती है। तो, मुख्य मुद्दा यह है कि इस द्वंद्व का प्रबंधन कैसे किया जाए? यद्यपि विवेकपूर्ण पहलू, अर्थात् जोखिम प्रबंधन, किसी भी विनियामक के लिए चिंता का प्रमुख विषय है, ऋण प्रवाह सामान्यतः बाज़ार द्वारा निर्धारित होता है, यद्यपि कभी-कभी विशिष्ट निर्देशित ऋण नीतियों के माध्यम से इसे अनिवार्य बना दिया जाता है। इसलिए, व्यापक वित्तीय स्थिरता के दृष्टिकोण से किसी भी असंतुलन से बचने के लिए विनियामकों द्वारा एक उत्कृष्ट संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है।

हरित एवं धारणीय वित्त और वैश्विक वित्तपोषण की चुनौतियाँ

हरित एवं धारणीय वित्त के समक्ष अनेक चुनौतियाँ हैं। हालाँकि, इन्हें मोटे तौर पर दो विशिष्ट श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है - एक संरचनात्मक समस्या है जबकि दूसरी उपलब्ध वित्तपोषण की मात्रा से संबंधित है। संरचनात्मक दृष्टिकोण से, मुख्य चुनौतियाँ जैसे - आवश्यक परियोजना ऋणों/निवेशों की विशिष्ट प्रकृति को देखते हुए उच्च-अपफ्रंट पूंजीगत व्यय आवश्यकताएँ; जलवायु संबंधी प्रौद्योगिकियों की विकासशील प्रकृति को देखते हुए उच्च अंतर्निहित जोखिम; आस्ति देयता की बेमेलता, जो किसी भी उधार/निवेश गतिविधि में सर्वव्यापी है, खासकर परियोजना ऋणों के मामले में, जिनकी परिपक्वता, प्रारंभ और निर्माण समय सीमा अधिक होती है; और जलवायु परिवर्तन जोखिमों के आकलन और जलवायु संबंधी प्रौद्योगिकियों के मूल्यांकन की तकनीकी प्रकृति को देखते हुए ज्ञान और सूचना का अभाव यह होंगी।

जहांतक उपलब्ध वित्तपोषण की मात्रा का संबंध है, वैश्विक पूंजी जुटाने के संदर्भ में, विभिन्न प्रेरक और प्रेरक कारक कार्यरत हैं। उधार/निवेश प्रवाह का वैश्विक पूंजी भंडार भी जोखिम-

प्रतिफल परिप्रेक्ष्य का अनुसरण करता है। प्रेरक कारक विशिष्ट घरेलू प्रवर्तक हैं जो निवेशकों की रुचि को बढ़ा सकते हैं। यह वित्तीय पारितंत्र की सुदृढ़ता, वित्तीय बाजारों में चलनिधि और गहनता, पारदर्शिता और प्रकटीकरण मानकों, सत्यापन और आश्वासन तंत्र की कठोरता, जलवायु संबंधी जोखिमों के लिए जोखिम मूल्यांकन मॉडलों के विकास और प्रसार, डेटा और क्षमता अंतराल, संक्रमण योजनाओं पर दीर्घकालिक रणनीति, और बैंक योग्य परियोजनाओं के समूह की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। प्रेरक कारक जलवायु संबंधी वित्तपोषण के लिए निधियों की वैश्विक प्रतिबद्धता होगी। हाल के भू-राजनीतिक घटनाक्रम संभवतः इन प्रेरक कारकों के कमजोर होने का कारण बन सकते हैं। यह एक विकासशील कहानी है और इसके व्यापक प्रभावों पर बारीकी से नज़र रखने की आवश्यकता है। हरित संक्रमण के वित्तपोषण की भारी आवश्यकता को देखते हुए, वैश्विक निधियों की उपलब्धता महत्वपूर्ण बनी हुई है।

हरित और धारणीय वित्त में निहित जोखिम, जोखिम-प्रतिफल के विचार को गलत तरीके लेते हैं जिससे ऋण की लागत बढ़ जाती है। इससे निजी क्षेत्र के निवेशक/ऋणदाता अनुदान/गारंटी/परोपकारी पूंजी/वित्तीय प्रोत्साहन आदि के माध्यम से उचित जोखिम-निवारण तंत्र की मांग करते हैं। इस तरह की पूंजी को बड़े पैमाने पर जुटाना एक चुनौती होगी। एक संबंधित मुद्दा बैंक योग्य परियोजनाओं की उपलब्धता है। हालाँकि, बैंक योग्य परियोजनाओं को हमेशा ऋण मिल जाता है, आंशिक रूप से बैंक योग्य और गैर-बैंक योग्य परियोजनाओं के साथ वित्तपोषण की चुनौतियाँ हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, जलवायु परिवर्तन वित्त के दो पहलू हैं जिन पर हमें विचार करने की आवश्यकता है, एक है न्यूनीकरण और दूसरा अनुकूलन। न्यूनीकरण का उपयोग संक्रमण उद्देश्य के लिए और अनुकूलन का उपयोग लचीलेपन के उद्देश्य से किया जाता है। न्यूनीकरण के मामले में वित्तपोषण नकदी प्रवाह से जुड़ा हो सकता है, लेकिन अनुकूलन और लचीलेपन के लिए यह मुश्किल हो जाता है, क्योंकि संबंधित नकदी प्रवाह का आकलन करना मुश्किल होता है, जिसका परिणाम लचीले बुनियादी ढांचे और अनुकूलन में धारणीय निवेश की ओर उप-इष्टतम पूंजी प्रवाह होता है।

हरित एवं धारणीय वित्त को बढ़ावा देना

इन सीमाओं को देखते हुए, इन चुनौतियों को दूर करने और हरित एवं धारणीय वित्त को बढ़ावा देने के लिए ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। इसके लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी। मिश्रित वित्त, जो रियायती सार्वजनिक निधि को निजी क्षेत्र के निवेश के साथ जोड़ता है, जलवायु संबंधी परियोजनाओं को जोखिम मुक्त करके ऋण प्रवाह के मुख्य माध्यमों में से एक हो सकता है। भारत एक विविधतापूर्ण देश है, जिसकी जलवायु शमन और लचीलेपन की ज़रूरतें अलग-अलग हैं, यानी, हिमालय के निकटवर्ती क्षेत्रों की तुलना में तटीय क्षेत्रों के लिए एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी। हमें विशिष्ट मुद्दों के लिए तैयार किए गए व्यावहारिक और कार्यान्वयन योग्य समाधानों की आवश्यकता होगी। निजी क्षेत्र की भागीदारी को और बढ़ाने के लिए गारंटी, स्थिरता से जुड़े ऋण और जलवायु-लचीले बॉन्ड जैसे साधनों का उपयोग किया जा सकता है।

जलवायु परिवर्तन की समस्या के लिए व्यापक समाधानों की आवश्यकता है, और यह पूरी तरह से सार्वजनिक धन पर निर्भर रहकर संभव नहीं है। इसलिए, एक ऐसा बाज़ार विकसित करने की आवश्यकता है जहाँ जोखिम-प्रतिफल का दृष्टिकोण ही आवश्यकताओं के पैमाने का ध्यान रखना है। अनुकूलन क्षेत्र में भी, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो नकदी प्रवाह से जुड़े हो सकते हैं। जलवायु परिवर्तन के जोखिमों और वित्तपोषण को भी एक अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। ऐसे नवोन्मेषी समाधानों की खोज की जानी चाहिए जो न केवल जलवायु परिवर्तन से जुड़े वित्तीय जोखिमों को कम करें, बल्कि निजी निवेशकों को जलवायु परियोजनाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित भी करें।

विकासात्मक वित्तीय संस्थानों (डीएफआई) को हरित और धारणीय वित्त के लिए ऋण प्रवाह को एक दिशा देने में प्रमुख भूमिका निभानी होगी। डीएफआई, बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबी), राष्ट्रीय विकास बैंकों (एनडीबी) और वर्टिकल क्लाइमेट एंड एनवायर्नमेंटल फंड्स (वीसीईएफ) के बीच अधिक सहयोग की आवश्यकता है। वर्तमान भू-राजनीतिक घटनाक्रमों को देखते हुए, जब दुनिया एक बहुध्रुवीय विश्व की ओर बढ़ रही है, एमडीबी के भीतर कुछ सुधारों के साथ-साथ वैश्विक दक्षिण से ऋण में अधिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है।

देश में हरित और धारणीय वित्त के लिए एक मजबूत पारितंत्र का निर्माण करते हुए, जलवायु परिवर्तन के जोखिमों को कम करने में प्रौद्योगिकी और नवाचार एक प्रमुख भूमिका निभाएंगे। इसके लिए एक ऐसे मंच का विकास करना आवश्यक है जो आरई और प्रौद्योगिकी समाधान प्रदाताओं को एक साथ लाए, ताकि

जलवायु संबंधी जोखिमों को कम करने, वर्तमान सीमाओं को दूर करने और स्थिरता से जुड़े ऋण प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक तकनीकी समाधानों के व्यवस्थित विकास को सुगम बनाया जा सके। रिज़र्व बैंक ने 09 अप्रैल, 2025 को विनियामक सैंडबॉक्स के तहत थीम न्यूट्रल "ऑन टैप" एप्लिकेशन सुविधा के तहत एक विषय के रूप में धारणीय वित्त और जलवायु जोखिम शमन को शामिल किया है, जो अभिनव समाधानों को विकसित करने और परीक्षण करने में मदद कर सकता है।

आगे की राह

वैश्विक संदर्भ में अक्सर जिस शब्द का ज़िक्र होता है, वह है "अंतर-संचालनशीलता"। जबकि एक अवधारणा के रूप में, अंतर-संचालनशीलता एक न्यायपूर्ण और समान विश्व में आदर्श प्रतीत होती है, लेकिन आज के समय में, घोर असमानताओं वाली दुनिया में, समान स्तर की प्रतिबद्धताओं के साथ अंतर-संचालनशीलता को अनिवार्य बनाना आदर्श तरीका नहीं हो सकता है और इसके लिए एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता है। उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) ने निर्बाध एकीकरण और अंतर-संचालनशीलता प्राप्त करने के लिए यह यात्रा शुरू कर दी है। हालाँकि, अभी कुछ दूरी तय की जानी बाकी है। यद्यपि, उच्च आय वाले देशों के ऐतिहासिक उदाहरण आर्थिक विकास को शमन से अलग करने की क्षमता प्रदर्शित करते हैं, ईएमडीई को इसके लिए मज़बूत अंतरराष्ट्रीय सहयोग, महत्वपूर्ण निवेश और प्रभावी नीतियों की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, कार्बन-प्रधान अर्थव्यवस्था से हरित अर्थव्यवस्था में कोई भी परिवर्तन आसान नहीं होता है और इसमें व्यवधान उत्पन्न होंगे, चाहे वह पुनर्गठन हो, संसाधनों और वित्तीय प्रवाह का पुनर्आबंटन हो, साथ ही श्रमिकों का विस्थापन हो और भूमि उपयोग पर पडनेवाला असर हो। इस प्रकार, जब हम इस यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं तो एक उत्कृष्ट संतुलन की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सामाजिक-आर्थिक प्रभावों पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाए और उनका समाधान किया जाए।

आगे बढ़ते हुए, हमें जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में परिवर्तन की अगुवाई करने के लिए अपने-अपने संगठनों को कुशल जनशक्ति और तकनीकी विशेषज्ञता से लैस करने की भी आवश्यकता होगी। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, रिज़र्व बैंक नवीकरणीय ऊर्जा संस्थानों (आरई) के लिए व्यापक क्षमता निर्माण कार्यक्रम चला रहा है। इसका उद्देश्य हरित और धारणीय वित्तपोषण, तनाव परीक्षण और परिदृश्य विश्लेषण, ऋण जोखिम मूल्यांकन, संक्रमण योजना, भौतिक जोखिम मूल्यांकन, और अनुशासन, रणनीति एवं जोखिम प्रबंधन हेतु सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं पर अपने अनुभव साझा करने के लिए अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों को एक मंच पर लाना है।

निष्कर्ष

वैश्विक जलवायु संदर्भ में भारत का एक अद्वितीय स्थान है। दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने के नाते, यह जलवायु परिवर्तन से निपटने के साथ-साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और उसे बनाए रखने की दोहरी चुनौती का सामना कर रहा है। एक ओर, यह जलवायु जोखिमों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, वहीं दूसरी ओर, इसमें वैश्विक हरित परिवर्तन का नेतृत्व करने की क्षमता है। हालाँकि हमने एक अच्छी शुरुआत की है, फिर भी कई चुनौतियाँ हैं जिनका समाधान किया जाना बाकी है। जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों के लिए आरई में जोखिम प्रबंधन ढाँचा अभी भी विकसित हो रहा है और आगे और ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। इसके अलावा, भविष्य में जलवायु परिवर्तन जोखिमों के कारण होने वाले संभावित हानि की सीमा का व्यापक आकलन करने के लिए अधिक विस्तृत दृष्टिकोण की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन जोखिमों के व्यापक आकलन और न्यूनीकरण के लिए तकनीकी विशेषज्ञता और दक्षताओं का निर्माण करने की आवश्यकता है। विभिन्न क्षेत्रों में अधिक सामंजस्यपूर्ण और सुसंगत विनियामक दृष्टिकोणों की भी आवश्यकता है ताकि क्षेत्रीय निर्भरताओं का कुशलतापूर्वक समाधान किया जा सके। हालाँकि दुनिया को एक हरित भविष्य की ओर संक्रमण की आवश्यकता है, रास्ते में कई चुनौतियाँ हैं, और उनका समग्र रूप से समाधान करने की आवश्यकता है। हमें अर्थव्यवस्थाओं और समग्र समाज पर बड़े पैमाने पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए विभिन्न मुद्दों के समाधान हेतु एक सहयोगात्मक और संवेदनशील दृष्टिकोण की भी आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि इस तरह के सेमिनार इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कार्य को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करते हैं।

धन्यवाद।